अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

ऑन लाईन नं RCMS2023/260

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : अरविन्द कुमार जाखड़ आर ए एस
न्याय निर्णयन आवेदन सं0 103 / 2023

श्री हेतराम, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1 श्री प्रवीण कुमार पुत्र श्री हंसराज अरोड़ा खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक मै0 कान्हा डेयरी, तीन पुली के पास, श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/51

निर्णय दिनांक : 03.10.2023

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि परिवादी श्री हेतराम खाद्य सुरक्षा अधिकारी का गजट नोटिफिकेशन कमांक प.5(01)चि.स्वा / ग्रुप 3 / 2022 दिनांक 09.03.2023 के गजट मे प्रकाशित हुआ है व परिवादी का पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय राज. जयपुर के आदेश कमांक आयुक्त0 / खासुआनि / संस्था / 2023 / 900 दिनांक 296.03.2023 के अनुसार जिला श्रीगंगानगर किया गया। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियां न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

श्री हेतराम खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 27.06.2023 को दोपहर पूर्व 11.25 ए.एम को मै0 कान्हा डेयरी, तीन पुली के पास, श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर पर पहुंचा। मौके पर विक्रेता एवं मालिक **प्रवीण कुमार पुत्र हंसराज अरोड़ा** को अपना परिचय देकर दुकान मे रखी **गाय का दूध** के बारे मे जानकारी चाही, इस पर विक्रेता ने स्वयं को दुकान का मालिक बताया तथा दुकान मे रखे डीपफ्रीज के अन्दर स्टील टंकी मे रखे 10 लीटर **गाय का दूध** को आमजन के विक्रय वास्ते होना बताया। **गाय का दूध** मे मिलावट का शक होने पर विक्रेता से नमूना जांच वास्ते **गाय का दूध** का नमूना लेने की इच्छा विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर देते हुए बरवक्त मौके पर ही विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर दिया जिस पर विक्रेता व गवाहान के व मैंने हस्ताक्षर किये। फार्म नम्बर 5 ए न्याय निर्णयन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां तैयार कर विक्रेता एवं मालिक तथा गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिस **प्रवीण कुमार पुत्र हंसराज अरोड़ा** एवं गवाहान ने भी पढ़कर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म सं 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक **प्रवीण कुमार पुत्र हंसराज अरोड़ा** को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म नम्बर 5ए मूल संलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

गंगानगर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं के–1855 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध **गाय का दूध** को एक रूप कर 2 लीटर साफ स्टील के बर्तन में विक्रेता से खरीद किया। विक्रेता को मौके पर ही उक्त क्रयशुदा **गाय का दूध** का नगद भुगतान 100/- रूपये किया तथा केशमीमो बनवाकर लिया जिस पर विक्रेता तथा मवाहान के हस्ताक्षर है और मेरे भी हस्ताक्षर है। केशमीमो न्यायनिर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **गाय का दूध** 2 लीटर को हिला मिला कर बराबर भागों में बांटकर **4** साफ सूखे सूखे डिब्बों में ले कर प्रत्येक डिब्बे में परिरक्षक **Formalin** की 40 बूंद डालकर ढक्कन को कसकर बंद किये व 4 डिब्बों पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डीओ श्रीगंगानगर के **कोड व क्रमांक के 1855** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा मवाहान के हस्ताक्षर करवाये। चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डीओ श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा **पेपर स्लिप के 1855** नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रैपर दोनों पर आये। चारों नमूना भागों के रैपर पर मवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं के आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाब्ते में लिया।

मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा मवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिस पर **प्रवीण कुमार पुत्र हंसराज अरोड़ा** एवं मवाहान ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट मूल संलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा स्टेट सेन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लेबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डीओ कम सीएमएचओ श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सेन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लेबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक LS 913 Act 2023 913 Dated 12-07-2023 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-1855 Sub-standard Food** होना पाया गया। इस पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त **प्रवीण कुमार पुत्र हंसराज अरोड़ा मै0** कान्हा डेयरी, तीन पुली के पास श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर **गाय का दूध** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 13.09.2023 को प्रस्तुत किया गया।

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्ता को तलब किया गया। अभियुक्ता को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्ता ने अपने जवाब मे कथन किया है कि प्रार्थी [illegible] तहसील व जिला श्रीगंगानगर का रहने वाला है। प्रार्थी मैसर्स [illegible] श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर का मालिक है और प्रार्थी को आपके विभाग द्वारा एक नोटिस आपके पत्र क्रमांक 23/2453 दिनांक 15.09.2023 को दिया है कि आपकी दुकान मे **गाय का दूध** की जांच की गई तो **गाय का दूध Sub-standard Food** पाया गया है। प्रार्थी ने उक्त **गाय का दूध** मे सुधार कर लिया है। भविष्य मे प्रार्थी ऐसी गलती दोबारा नही करेगा। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे। लिहाजा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे।

परिवाद पर दोनो पक्षो को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस मे बताया कि अभियुक्ता से लिया गया **गाय का दूध** का सैम्पल **K-1636** जांच रिपोर्ट क्रमांक [illegible] **Dated 12-07-2023** द्वारा **Sub-standard Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्ता के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 मे निर्धारित है।

अप्रार्थी ने जवाब मे वर्णित तथ्यो को ही बहस मे दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी को आपके विभाग द्वारा एक नोटिस आपके पत्र क्रमांक 23/2453 दिनांक 15.09.2023 को दिया है कि आपकी दुकान मे **गाय का दूध** की जांच की गई तो **गाय का दूध Sub-standard Food** पाया गया है। प्रार्थी ने उक्त **गाय का दूध** मे सुधार कर लिया है। भविष्य मे प्रार्थी ऐसी गलती दोबारा नही करेगा। प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्ता से लिया गया **Sample of "Cow Milk" bearing Code No and Sr. No. K-1855, of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is Sub-standard food as it does not lconsorm to the prescribed standard of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additive) Regulations,2011.** की जांच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नही है।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

फलस्वरूप अभियुक्त **प्रवीण कुमार पुत्र हंसराज अरोड़ा** को एफएसएसए एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत वर्णित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त **प्रवीण कुमार पुत्र हंसराज अरोड़ा** को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत राशि रूपये 12,000.00 (अक्षरे रूपये बारह हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य मे **प्रवीण कुमार पुत्र हंसराज अरोड़ा** खाद्य पदार्थ मे डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटको का इस्तेमाल करे ताकि ऐसे खाद्य पदार्थो से उपभोक्ताओ के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशो की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 03.10.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा0)
श्रीगंगानगर।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर